6

न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 23/2016/भीलवाड़ा (2016/00137)

हजारी पुत्र श्री मांगू जाति बंजारा निवासी ग्राम चौकीरड़ा पुलिस थाना काछोला तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अपीलान्ट

बनाम

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा।

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश कमांक न्याय/आदेश/2016/25064 दिंनाक 03.11.2016

———

उपस्थितः 1— श्री शशिकान्त जोशी अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक : 18-2-2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के पास एक हथियार 12 बोर डबल बेरल शस्त्र अनुज्ञा पत्र बीएचएल 14/05 का लाईसेंस है जो कि दिनांक 31—12—2014 तक नवीनीकरण किया हुआ है। उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण कराने हेतु जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं तत्पश्चात जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 3—11—2016 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर शस्त्र को थाना काछोला जिला भीलवाड़ा में जमा कराने के आदेश प्रदान कर दिये गये।

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने एक मात्र आदेश दिनांक 3–11–2016 से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में खतरे के कारण के संबंध में स्पष्ट नहीं किये जाने से आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। अपीलार्थी ने अपने आवेदन फार्म व नियम 81 के बिन्दु संख्या 11 सी (2) में सुरक्षा कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है तथा अपीलार्थी ने अपना धन्धा कृषि कार्य दर्शाते हुए लाइसेन्स नवीनीकरण करने का निवेदन किया था। अधिनस्थ न्यायालय ने सुरक्षा कारण समाहित होने के बावजूद उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण विचाराधीन एवं न्यायाधीन नहीं है। अपीलार्थी ने सुरक्षा कारणों से 12 बोर डबल बेरल शस्त्र अनुज्ञा पत्र बीएचएल 14/05 का लाईसेन्स नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया था। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने सुरक्ष्ज्ञा कारणों को खतरे का कारण क्यों नहीं माना इसका आदेश में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 41/78 अन्तर्गत धारा 342, 324, 323, 34 भादस में थाना बिजौलियां पर दर्ज कर संबंधित न्यायालय से दिनांक 29–5–87 को सजा होने का उल्लेख किया है। उक्त संबंध में प्रार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान के किसी भी थाना क्षेंत्र में आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है एवं न ही अपीलार्थी को कभी कोई सजा ही हुई है। अपीलार्थी ने कभी भी हथियार का दुरूप्योग नहीं किया तथा प्रार्थी के विरूद्ध कभी भी शांति भंग करने की कार्यवाही नहीं हुई है। थानाधिकारी पुलिस थाना काछोला जिला भीलवाड़ा ने अपने पत्र दिनांक 31–8–2015 में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण थाना हाजा पर दर्ज नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3–11–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 41/78 अन्तर्गत धारा 342, 324, 323, 34 भादस में थाना बिजौलियां पर दर्ज होकर संबंधित न्यायालय से दिनांक 29–5–87 को सजा हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अनुज्ञापत्रधारी को लाईसेन्स का नवीनीकरण करना अनुचित माना है। जिस पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अनुज्ञापत्रधारी ने नवीनीकरण के संबंध में संतोषप्रद जवाब नहीं दिये जाने के कारण लोक शांति एवं जन सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी को थाना काछोला जिला भीलवाड़ा में लाईसेन्स बीएचएल/14/05 में दर्ज हथियार एक 12 बोर डबल बेरल नम्बर 4050–74 को जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार उक्त कारणो से जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 41/78 अन्तर्गत धारा 342, 324, 323, 34 भादस में थाना बिजौलियां पर दर्ज होने का उल्लेख अपनी रिपोर्ट दिनांक 1–2–2017 में किया है। अपीलार्थी को धारा 342, 324, 323, 34 भादस के तहत किस जुर्म में सजा हुई है तथा क्या सजा दी गई है का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। थानाधिकारी पुलिस थाना काछोला ने अपीलार्थी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण थाना हाजा पर दर्ज नहीं होना अंकित किया है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में 41/78 अन्तर्गत धारा 342, 324, 323, 34 भादस के तहत मुकदमा दर्ज था तो वर्ष 2005 से लेकर 31–12–2014 तक अपीलार्थी का लाईसेन्स किन कारणों से नवीनीकरण किया जाता रहा है जबकि उक्त प्रकरण पूर्व में भी दर्ज रहा है। रिकार्ड के अनसार उक्त अवधि में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक मुमदमा भी दर्ज नहीं हुआ है एवं न ही शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाकर सजा हुई है । अपीलार्थी ने बहस के दौरान कृषि कार्य हेतु जंगली जानवरों को डराने हेतु हथियार की आवश्यकता होने का कथन किया है। थानाधिकारी, पुलिस थाना, काछोला की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध संबंधित थाना क्षेत्र में प्रकरण संख्या 41/78 दर्ज ही नहीं है एवं न ही इसके संबंध में थानाधिकारी द्वारा कोई दस्तावेज ही पेश किये गये है। जिला मजिस्ट्रेट ने प्रार्थी को जो नोटिस दिनांक 24–8–2015 को दिया है उसमें प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण किस थाने में दर्ज है यह भी अंकित नहीं है। प्रार्थी ने जो प्रतिउत्तर दिया है उसमें स्पष्ट कहा है कि उनके विरूद्ध सम्पूर्ण राजस्थान में कोई केस दर्ज नहीं है व न ही सजा हुई है तथा यह भी जानना चाहा है कि उन्हें बतावे कि किस थाने में प्रकरण दर्ज है तथा किस न्यायालय से कब सजा हुई है? प्रार्थी आगे यह

संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned with CamScanner

भी आग्रह कर रहा है कि हो सकता है कि उसके नाम का कोई अन्य व्यक्ति हो। सभी तथ्यों से अवगत करावे ताकि सही जवाब व स्पष्टीकरण पेश किया जा सके। प्रार्थी के उक्त जवाब की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर पुलिस अधीक्षक को लिखा गया कि प्रार्थी के जवाब के आधार पर पुनः जांच कर रिर्पोट भिजवावे परन्तु पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा लगभग 9 माह बाद पूर्ववत रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें प्रार्थी के जवाब के आधार पर जांच करने का कोई उल्लेख नहीं है। पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट मात्र Routine प्रकिया में भेजी गई प्रतीत हो रही है जिसमें प्रार्थी के उक्त जवाब के आधार पर पुनः गहन जांच की आवश्यकता है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने अपने आदेश दिनांक 3–11–2016 में अपीलार्थी के लाईसेन्स को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं किये जाने बाबत कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये कि अपीलार्थी से लोक शांति एवं जन सुरक्षा का किस तरह से खतरा है जबकि जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी का आचरण एवं व्यवहार सामान्य है एवं आवेदक ने पिछले तीन वर्षो में हथियार का दुरूपयोग नहीं किया एवं आवेदक के विरूद्ध शांति भंग करने जैसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 3–11–2016 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा) का आदेश कमांक/न्याय/आदेश/2016/25064 दिनांक 3–11–2016 विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से पुनः विस्तृत जांच करवायी जावे तथा जांच रिपोर्ट से अपीलार्थी को अवगत कराते हुए पुनः सुनवाई का अवसर देकर दस्तावेजी साक्ष्यों का भलीभांति अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner